न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री नवनीत कुमार, आर. ए. एस.

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 140 / 2022 / बाड़मेर

अपीलांट बनाम	**रेस्पोडेंटगण**
1. गुणेशाराम पुत्र देदाराम जाति मेघवाल निवासी रामसर कुआ तहसील व जिला बाड़मेर 2. मदनलाल पुत्र देदाराम 3. शेराराम पुत्र केशराराम का.मु. 3/1रतनाराम पुत्र शेराराम 4. आदुराम पुत्र भूराराम जाति मेघवाल निवासी घोनरीतालर तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर 5. हुकमाराम पुत्र भूराराम 6. लेहरों पत्नी स्व. भूराराम 7. सुनील पुत्र सुखाराम 8. कमलेश पुत्र सुखाराम 9. धारूराम पुत्र सुखाराम 10. भगवती पुत्री सुखाराम क्र.सं. 09 व 10 नाबालिग जरिये कु0 वलिया माता संख्या 11 लाछी देवी उर्फ सिरूदेवी पत्नी सुखाराम 11. लाछी देवी उर्फ सिरूदेवी पत्नी सुखाराम जाति मेघवाल निवासी रामसर कुआ तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर 12. बंशीलाल पुत्र भेराराम का.मु. 12/1बबरी पत्नी बंशीलाल 12/2रमेशकुमार पुत्र बंशीलाल 12/3ओमप्रकाश पुत्र बंशीलाल 12/4सताराम पुत्र बंशीलाल 12/5जमना पुत्री बंशीलाल 12/6फुसाराम पुत्र बंशीलाल 12/7बांकाराम पुत्र बंशीलाल 13. दमाराम पुत्र भेराराम का.मु. 13/1शांति देवी पत्नी दमाराम 13/2श्रवणकुमार पुत्र दमाराम 13/3सुरेशकुमार पुत्र दमाराम 14. रूघुनाथ मेगवंशी पुत्र भलाराम 15. गोसाईराम पुत्र भलाराम 16. ओमप्रकाश पुत्र भलाराम 17. विशनाराम पुत्र भलाराम	1. मांगीलाल पुत्र कानाराम 2. पोकरसिंह पुत्र कानाराम 3. हीराराम पुत्र गंगाराम जाति मेघवाल निवासी घोनरीतालर तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर 4. राज. राज्य जरिये तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

18. तोगाराम पुत्र भलाराम 19. मानीदेवी पत्नी भलाराम जाति मेघवाल निवासी बांकाणियों का वास (मंगने की ढाणी) तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर 20. चेतनराम पुत्र रामलाल 21. जोगाराम पुत्र गुमनाराम क्र.सं. 21 नाबालिग जरिये कु. वलिया माता संख्या 22 भूरी देवी पत्नी गुमनाराम 22. भूरीदेवी पत्नी गुमनाराम जाति मेघवाल निवासी नवजी का पाना मातासर तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर 23. मदरूपाराम पुत्र करनाराम जाति मेघवाल निवासी घोनरीतालर (रामसर का कुआ) तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर 24. जयराम पुत्र करनाराम 25. भीखाराम पुत्र करनाराम 26. नरपत पुत्र भंवराराम 27. जगदीश पुत्र भंवराराम 28. अगरीदेवी पत्नी भंवराराम जाति मेघवाल निवासी नवजी का पाना मातासर, तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर 29. रूपाराम पुत्र वीरमाराम जाति मेघवाल निवासी घोनरीतालर (रामसर का कुआ) तहसील व जिला बाड़मेर	

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 09/2022 बउनवान मांगीलाल वगैरह बनाम गुणेशाराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 24.08.2022 के विरूद्ध पेश हुई ।

उपस्थित

1. वकील श्री अर्जुनराम बोसिया अपीलान्टगण की ओर से।
2. वकील श्री डूंगरसिंह महेचा उतरदातागण की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—09.06.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि उतरदाता/प्रार्थी ने अधीनस्थ अदालत में एक आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया था कि प्रार्थीगण की खातेदारी का खेत मौजा घोनरी तालर, पटवार सर्किल रावतसर तहसील बाड़मेर ग्रामीण के खसरा संख्या 65 रकबा 10.15 बीघा का आया हुआ है। प्रार्थीगण को अपने खेत तक पहुंचने हेतु

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

विप्रार्थीगण की आराजी मौजा घोनरी तालर के खसरा संख्या 67 रकबा 17.06 बीघा व खसरा संख्या 1050/68 रकबा 2.15 बीघा में से होकर गुजरना पड़ता है। अपीलांट की आराजी भूमि प्रार्थीगण के खेत एवं सड़क के मध्य पड़ती है। प्रार्थीगण को सड़क तक पहुंचने के लिये विप्रार्थीगण के उक्त खेत में से चलने वाली कदीमी प्रचलित रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। बरसात के मौसम में विप्रार्थीगण अपनी अन्य भूमि के साथ रास्ते की भूमि पर भी काश्त कर लेते है, जिससे प्रार्थीगण का आवागमन अवरूद्ध हो जाता है, क्योंकि उक्त विप्रार्थीगण के खेत में से चलने वाला रास्ता प्रार्थीगण के सड़क तक आवागमन के लिये इकलौता विकल्प है जिसकी अत्यधिक आवश्यकता है। उपरोक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने हेतु हस्तगत आवेदन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की जा रही है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। उपस्थित उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अपीलांटगण के विद्वान अधिवक्ताओं ने अपनी बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के नाम से जारी सम्मनों पर व्यक्तिगत तामील नहीं करवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस मौका रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए रास्ता प्रस्तावित किया गया। उक्त मौका रिपोर्ट एकतरफा तैयार की गई। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि तक आवागमन हेतु परिशिष्ट 'ब' अनुसार मार्ग उपलब्ध है। उक्त प्रस्तावित रास्ते की भूमि हमने समर्पण के माध्यम से राज को दे दी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तावित रास्ते के स्थान पर कभी भी रास्ता नहीं रहा। अपीलाधीन रास्ते की उत्तरदराता को कोई अत्यांतिक आवश्यकता नहीं थी केवल मात्र अपनी जोत के सुविधाजनक उपभोग एवं उपयोग के लिए रास्ते का आवेदन किया गया। रेस्पोडेंटगण/प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ते का विकल्प मौजूद होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस पर गौर किये बिना अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। रेस्पोडेंटस द्वारा अपीलांट को तंग एवं परेशान करने की नियत से अपीलाधीन आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलकर्ता द्वारा

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

प्रस्तावित रास्ते से उतरदाता के अलावा और भी कई घरों की आबादी रास्ते से जुड़ रही है जिससे आवागमन में सुविधा रहेगी। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेंटगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश मजमे आम में बहस सुनने के पश्चात पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर रेस्पोडेण्टस/प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आने–जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। अपीलांटस द्वारा अपनी अपील में बताये रास्ते के विकल्प प्रस्तावित रास्ते से कहीं अधिक दूरी का तथ्य गैर वाजिब है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश की पालना में क्षतिपूर्ति राशि को जमा करवा दिया है। अपीलांटगण द्वारा समर्पण के माध्यम से प्रस्तावित रास्ते की चौड़ाई कम रखी गई तथा वाहन ले जाने में समस्या होती है। समर्पित रास्ते के अनुरूप मौके पर चलायमान नहीं है। अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तावित रास्ते में ढाणी बनी हुई है। उतरदातागण द्वारा अपीलाधीन आदेश की पालना में क्षतिपूर्ति की राशि तहसीलदार कार्यालय में जमा करवाई। इसलिए रेस्पोडेंट को अपीलाधीन आदेश से प्रस्तावित रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील पेश कर प्रकरण को अनावश्यक लंबा किया जा रहा है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का आवेदन एक समरी प्रक्रिया है लेकिन अपीलांट को सुनवाई का मौका दिया जाना लाजमी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में मौका रिपोर्ट मंगवाई गई। उक्त मौका रिपोर्ट को तैयार करने से पूर्व अपीलांट को सूचना नहीं दी गई। अपीलांट की अनुपस्थिति में मौका देखा गया। जिस मौका रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। उक्त मौका रिपोर्ट में वैकल्पिक रास्ते का अभाव सिद्ध किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की आपत्ति होने के बावजूद भी विचार नहीं किया गया। रेस्पोडेंटस/प्रार्थी को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता है

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

लेकिन रास्ते के लिए अन्य पक्षकार के जीवन में दुविधा पैदा करना भी विधि सम्मत नहीं है। अपीलांट द्वारा प्रार्थीगण/उत्तरदाता के खातेदारी भूमि तक आवगामन हेतु रास्ता प्रस्तावित करते हुए राज्य हक में भूमि का समर्पण किया गया। वर्तमान में अपीलांटगण द्वारा समर्पित भूमि के जरिये प्रार्थीगण की खातेदारी तक आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया जो न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील स्वीकार करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 09/2022 बउनवान मांगीलाल वगैरह बनाम गुणेशाराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 24.08.2022 को अपास्त किया जाता है। तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को निर्देशित किया जाता है कि अपीलकर्ता द्वारा उत्तरदातागण की खातेदारी भूमि तक आवागमन हेतु राज्य हक में समर्पित भूमि में से सार्वजनिक आवागमन हेतु रास्ता खुलवाकर सुचारू करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति लौटाया जावे।

9/6/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 09.06.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

9/6/2025

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर